07/02/22 पत्रावली कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। अपील में प्रकट तथ्यों के आधार पर दर्ज रजिस्टर की की गई। अपील पर अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सुना गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा उनके प्रकरण संख्या 51/2020 नानजीराम बनाम काछबाराम वगैराह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2022 अभिलेख के विरूद्ध व कानून विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम मोरसीम के खसरा संख्या 922/1187 की उनकी खातेदारी भूमि के समक्ष ग्राम भालनी की सीमा व रेस्पाडेन्टस की ख0सं0 57 की आई हुई है जिनके मध्य सीमा का विवाद रहने से पेमाइश करवाकर सीमाचिन्ह एवं पत्थरगढी करवाई जाने की कार्यवाही बाबत यह आदेश दिया गया कि " तहसीलदार बागोडा को आदेश दिये जाते है कि वो स्वयं अपनी देखरेख में एक कमेटी का गठन किया जाकर उक्त ग्रमों की वादग्रस्त खसरान भूमि की पैमाइश कर दोनों सीमा के मध्य स्थाई सीमाचिन्ह उक्त निर्णय के दस दिवस के भीतर-भीतर स्थापित करें एवं दोनों के मध्य पत्थरगढी करवाई जाकर तारबंदी करवाई जावे, अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलान्टस) अगर सेटलमेन्ट अधिकारियों से पैमाइश करवाना चाहे तो उक्त निर्णय के दस दिस के भीतर भीतर सेटलमेन्ट अधिकारियों की टीम से नियमानुसार पैमाइश करवा सकते है, दस दिस के भीतर टीम से पैमाइश का आदेश अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलान्टस) द्वारा नहीं करवाने पर तहसीलदार बागोडा क्त निर्णय अनुसार पालना कर इस न्यायालय को अवगत करावें।"

अपीलान्टस अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त निर्णय के अनुसरण में अपीलान्टस द्वारा सेटलमेन्ट विभाग से इस प्रकार की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित किये जाने हेतु लिखित में निवेदन किया गया जिस पर सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि अपीलाधीन आदेश में सेटलमेन्ट अधिकारी को निवेदन करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और उनके आदेश के बिना सेटलमेन्ट अधिकारी अपनी टीम अपीलान्टस के आवेदन पर नहीं भिजवा सकते है। इस प्रकार अपीलाधीन कार्यवाही में दो ग्रामों के मध्य की सीमा का विवाद होने से उक्त ग्रामों के मध्य की सीमा को प्रथम सेटलमेन्ट के नक्शे अनुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी कायम करवाया जाना आवश्यक है अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते

7/2/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

हुए ग्राम भालानी व ग्राम मोरसीम के बीच की पक्षकारान के वादग्रस्त खसरान भूमि की विवादित सीमा को सेटलमेन्ट सर्वेदल से पैमाइश करवाकर प्रथम भूमाप के नक्शे अनुसार स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवाकर सीमा निर्धारित करवाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

हमने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सुना एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया जिससे यह स्थिति सामने आई कि अपील में पक्षकारान के वादग्रस्त खसरान भूमि दो ग्रामों यानि ग्राम मोरसीम एवं ग्राम भालानी की सीमा पर आई हुई है जिसका सीमाज्ञान तथा सीमाज्ञान होने के पश्चात स्थाई सीमाचिन्ह /पत्थरगढी की कार्यवाही सही रूप से सेटलमेन्ट विभाग के सर्वेदल /कार्मिकों की टीम की उपस्थिति में पक्षकारान की मौके पर उपस्थिति में करवाई जाना न्यायोचित रहेगा। अपीलान्टस के द्वारा भी सेटलमेन्ट विभाग से उल्लेखित कार्यवाही करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोडा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2022 के कम में यह आदेश प्रसारित किया जाता है कि तहसीलदार बागोडा एवं सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की संयुक्त टीम बनाई जाये जो पक्षकारान को एक नियत दिनांक को उपस्थित रखकर उक्त ग्रामों की सीमा का ज्ञान कराये तथा सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त स्थाई सीमाचिन्ह/पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें। इस कार्यवाही हेतु अपीलान्टस सेटलमेन्ट विभाग में नियमानुसार शुल्क जमा करवाये। शुल्क जमा करवाने के उपरान्त सेटलमेन्ट विभाग दिवस/ दिनांक तय करते हुए पक्षकारान व तहसीलदार बागोडा को सूचित करते हुए कार्यवाही सम्पादित करें। पत्रावली बाद निर्णय नम्बर से कम की जावे।

7/11/2022

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर